राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार : दिल्ली जल बोर्ड
कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी : (आर0टी0आई) : निदेशक (राजस्व)
कमरा न0 413 : वरुणालय फेज – II : करोल बाग नई दिल्ली –110005
इस आदेश के अवलोनार्थ दिल्ली जल बोर्ड की बेवसाईट
www.delhijalboard.nic.in

14035 14

कमांकः दि0ज0बो0 / प्र0अ0अ0(आर0टी0आई)अपील न0 1478 / 2015 / दिनांकः 11.12.2015

श्री प्रेम राज,
10382, प्रथम तल,
मानकपुरा, गली मन्दिर वाली,
क्रोल बाग,
नई दिल्ली–110005.

संयुक्त निदेशक (राजस्व) मुख्यालय
संयुक्त निदेशक (राजस्व)के0 / के0प0

आदेश

इस आदेश द्वारा श्री प्रेम राज, के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अधीन प्रस्तुत अपील दिनांक 29–09–2015 का निपटान किया गया।

दिनांक 11.12.2015 को अपील की सुनवाई की गई । नियत समयानुसार अपीलकर्त्ता श्री प्रेम राज, उपस्थित नहीं हुए एवं श्रीमती प्रवीण कुमारी, क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (मुख्यालय) एवं श्रीमती सुषमा रानी, क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (के0)–II, तिबिया कॉलेज जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के रुप में उपस्थित हुईं ।

प्रस्तुत अपील से पहले दिनांक 22.07.2015 को अपीलकर्त्ता ने जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में एक प्रार्थनापत्र दिया था, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण यह अपील दिनांक 29–09–2015 को दायर की ।

आर0 टी0 आई0 की अपील का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि सहायक जनसूचना अधिकारियों / जनसूचना अधिकारियों ने आर0 टी0 आई0 के प्रार्थनापत्र का उत्तर दे दिया है । अपीलकर्ता अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित नहीं थे ।

श्री प्रेमराज एक आर0टी0आई0 अभिकर्ता हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं कि वे आर0टी0आई0 के तहत कई लोगों की शिकायत दूर करवाने एवं सरकारी कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने में सरकारी तन्त्र की सहायता करते हैं । दिनांक 11.12.2015 को श्री प्रेमराज के तीन केस अधोहस्ताक्षरी के पास सुनवाई के लिए प्रस्तुत किए गए जिसमें 14 क्षेत्रीय राजस्व अधिकारियों को बुलाया गया किन्तु अपीलकर्ता अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए । इस कारण कथित 14 क्षेत्रीय राजस्व कार्यालयों में शिकायकर्ताओं और विभागीय कर्मचारियों को कड़ी असुविधा का सामना करना पड़ा और सरकारी कामकाज में भी बाधा पड़ी । अपीलकर्ता को दूरभाष पर सम्पर्क स्थापित करने पर अपीलकर्ता ने अपील की सुनवाई हेतु सूचना प्राप्त न होने की बात कही, जो कि बिल्कुल गलत है । अपील की सुनवाई हेतु प्रेषित किए गए पत्र–प्रेषण सम्बन्धी साक्ष्य एवं क्षेत्रीय राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति सम्बन्धी प्रतिलिपि प्रस्तुत की जा रही है, जो यह प्रमाणित करता है कि अपीलकर्ता अपने कृत्य के प्रति जागरूक नहीं हैं । दिल्ली जल बोर्ड का राजस्व विभाग आर0टी0आई0 के अन्तर्गत आने वाली शिकायतों के माध्यम से लोगों की सहायता करके स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है । प्रस्तुत अपील केस में हमें खेद के साथ कहना पड़ता है कि अपीलकर्ता अपनी सक्रियता / सहभागिता दिखाने में असफल रहे ।

EXECUTIVE ENGINEER
DY. No. 6436
13/12/15

उपरोक्तानुसार अपील का निपटान किया गया ।

यदि अपीलकर्त्ता प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम सूचना अधिकारी के

केन्द्रीय सूचना आयोग,
द्वितीय तल, बी–विंग,
अगस्त क्रान्ति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली– 110066

ह0/–
निधि श्रीवास्तव
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्री प्रेम राज, 10382, प्रथम तल, मानकपुरा, गली मन्दिर वाली, करोल बाग, नई दिल्ली–110005.
2. संयुक्त निदेशक (राजस्व) मुख्यालय
3. संयुक्त निदेशक (राजस्व) के0/के0प0
4. क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (मुख्यालय)।
5. क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (के0)–II, तिबिया कॉलेज ।
6. अधिशासी अभियन्ता (ई0डी0पी0), को दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाईट पर इस आदेश को डालने हेतु।

Nidhi
प्रथम अपीलीय अधिकारी